

furnished or unfurnished accommodation occupied by him for the purposes of his own residence shall be allowed subject to the condition that the accommodation is situated in any one of the following places, namely:—

Agra, Ahmedabad, Allahabad, Amritsar, Bangalore, Bombay, Calcutta, Cochin, Coimbatore, Delhi, Hyderabad, Indore, Jabalpur, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Madras, Madurai, Nagpur, Patna, Poona, Sholapur, Srinagar, Surat, Trivandrum, Vadodara (Baroda), Varanasi (Banaras).”

[No. 1278/E. No. 142(15)/76-TPL]

O. P. BHARDWAJ, Secy.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिसूचना

आय-कर

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1976

का० आ० 275(ख).—आय कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर नियम, 1962 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम आय-कर (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1976 है।
(2) यह नियम और नियम 3 पहिली अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होंगे और नियम 2, दूसरी अप्रैल, 1976 को प्रवृत्त होगा।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है), के नियम 3 में, खण्ड (क) में, “15 प्रतिशत” अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, “10 प्रतिशत” अंक और अक्षर रखे जाएंगे।
3. मूल नियम के नियम 11क के पश्चात् और भाग 3 के पूर्व निम्नलिखित नियम अन्तः-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“11ख. धारा 80छछ के अधीन कटौतियां की जाने के लिए शर्तें.—किसी निर्धारिती द्वारा उसके स्वयं के आवास के प्रयोजन के लिए उसके अधिभोग में सज्जित या असज्जित आवास सुविधा की बाबत भाटक के संदाय के लिए उपगत किसी व्यय के सम्बन्ध में धारा 80छछ के अधीन की जाने वाली कटौती इस शर्त पर अनुज्ञात होगी कि आवासा सुविधा निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक स्थान पर अवस्थित है, अर्थात् :—

आगरा, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमृतसर, बंगलौर, मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जबलपुर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, मद्रास, मदुरई, नागपुर, पटना, पुणा, शोलापुर, श्रीनगर, सूरत, त्रिवेन्द्रम, वदोदरा (बड़ौदा), वाराणसी (बनारस)।”।

[सं० 1278/फा० सं० 142(15)/76-टी०पी०एल०]

ओ० पी० भारद्वाज, सचिव।



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 1976/चैत्र 12, 1898

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 1976/CHAITRA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES NOTIFICATION INCOME-TAX

New Delhi, the 1st April 1976

S.O. 275(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1976.
(2) This rule and rule 3 shall come into force on the 1st day of April, 1976 and rule 2 shall come into force on the 2nd day of April, 1976.
2. In rule 3 of the Income-tax Rules, 1962, (hereinafter referred to as the principal rules), in clause (a), for the figures and words "15 per cent.", wherever they occur, the figures and words "10 per cent." shall be substituted.
3. After rule 11A of the principal rules and before Part III, the following rule shall be inserted, namely:—

"11B. Condition for allowance of deduction under section 80GG.—The deduction to be allowed under section 80GG in respect of any expenditure incurred by an assessee towards payment of rent for any